

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल जज (जू0डि0) परीक्षा-2018 हेतु पूर्व से आवेदन करे हुए अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी एवं आरक्षण चुनने हेतु हेतु दिशा-निर्देश

1. ओ0टी0आर0 में पंजीकृत अभ्यर्थी ukpsconline.in पर जाकर अपने यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग-इन करें।
2. लॉग-इन करने के पश्चात् my application लिंक पर जाकर Year -2018 post name- A-1/A-2/(02)/E-2/CJ(JD)/2018-19 – Uttarakhand Judicial services Civil Judge Exam-2018 का चयन करें।
3. तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में भरा गया ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित हो जायेगा जिसके समक्ष Claim Category EWS पर Click करें।
4. अभ्यर्थी के समक्ष एक window खुलेगी जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) की श्रेणी एवं आरक्षण का चुनाव कर save button पर क्लिक करें।
5. अभ्यर्थी को स्क्रीन पर message दिखेगा जिसका अर्थ होगा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) की श्रेणी एवं आरक्षण का चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है।